?/20 पत्रावली पेश हुई [illegible] द्वारा
न्यायिक कार्य [illegible] र रखने
से पत्रावली [illegible] 27/10/20 को पेश हो।

27/10/20 उभय पक्ष उपस्थित [illegible] अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है [illegible] पदरिक्त है।
अतः पत्रावली [illegible] 17-11-20 को पेश हो।

[illegible] अधिकारी माण्डल

17/11/20 उभय पक्ष उपस्थित [illegible] अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है [illegible] पदरिक्त है।
अतः पत्रावली [illegible] 15-12-20 [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

15/12/20 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश [illegible] है / पदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 24-12-20 को पेश हो।

[illegible] अधिकारी माण्डल

24/12/20 पत्रावली पेश हुई [illegible] द्वारा
न्यायिक कार्य [illegible] स्वीकार रखने
से पत्रावली दिनांक 8/1/21 को पेश हो।

8-1-21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है [illegible] पदरिक्त है।
अतः पत्रावली [illegible] 19-1-21 को पेश हो।

[illegible] अधिकारी माण्डल

19-1-21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील अप्रार्थी
सं० 1 जवाब नहीं [illegible] करना
चाहते हो उभयपक्षो की बहस [illegible] गयी, बहस
के दौरान वकील प्रार्थी [illegible] ने
प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार [illegible] प्रार्थना पत्र को स्वीकार
किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि वकील अप्रार्थी ने [illegible]
को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली मे प्रस्तुत
दस्तावेजो एव प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया।
वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:32:24 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निर्णय पृथक से लिखा जाकर सलंग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सेना आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या – 02/20 प्रा.पत्र
1–श्रीमती पुष्पा देवी प०श्री केशरीमल स्वर्गीय निवासी-बागोर तहसील-माण्डल

प्रार्थी

बनाम

1–श्री मक्खनलाल पुत्र श्री मनोहर सोनी निवासी-लक्ष्मणगढ़ कॉलोनी बागोर त. माण्डल
2. कमला प० श्री बंशी स्वर्गीय निवासी बागोर तहसील माण्डल
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार मा. माण्डल तहसील-माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 19.01.2021

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम........ बागोर .... पटवार हल्का बागोर ....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 7789/2124 .... कुल किता 01 ....रकबा........—........ बीघा............10..........बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.01.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जा काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........ बागोर पटवार हल्का........ बागोर .... तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 7789/2124 .... कुल किता 01 रकबा — बीघा ....10......बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बागोर को 300/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया [illegible] फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर [illegible] कब्जा की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील चिन्हु का आधार [illegible] होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा